मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

निस्तार नीति - 1996

(अद्यतन स्पष्टीकरणों सहित)

ग्रामवासियों को निस्तार सुविधा के रूप में घरेलू और कृषि उपयोग हेतु रियायती दरों पर बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए नीति

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

निस्तार नीति - 1996

(अद्यतन स्पष्टीकरणों सहित)

ग्रामवासियों को निस्तार सुविधा के रूप में घरेलू और कृषि उपयोग हेतु रियायती दरों पर बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए नीति

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

निस्तार नीति - 1996

(अद्यतन स्पष्टीकरणों सहित)

ग्रामवासियों को निस्तार सुविधा के रूप में घरेलू और कृषि उपयोग हेतु रियायती दरों पर बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए नीति

व्ही. आर. खरे
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
V. R. KHARE
I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forests, M.P.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
O/o Principal Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh
First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal
Tel : (Office) 0755-2674200, (Resi.) 0755-2674201
E-mail : pccfmp@rediffmail.com

क्रमांक / **No.** .....

दिनांक / **Dated** .....

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में निस्तार नीति 1996 के प्रावधानों के तहत ग्रामीणों को वनोपज आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ग्रामीणों को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रख कर इस नीति में समय-समय पर संशोधन किये हैं।

राज्य शासन द्वारा निस्तार नीति के तहत किये प्रावधानों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिये निस्तार नीति / समय-समय पर किये गये संशोधनों का संकलन कर एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि वनकर्मियों तथा ग्रामीणों के लिये यह प्रकाशन उपयोगी होगा।

स्थान : भोपाल
दिनांक : 30 मई, 2008

(व्ही. आर. खरे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

मध्यप्रदेश में निस्तार सुविधाएं

भविष्य हेतु नई नीति

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/ एफ-7-22/910/3 दिनांक 26 दिसम्बर 1994 द्वारा जारी एवं दिनांक 1 जुलाई 1996 से लागू की गई निस्तार नीति).

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों (जो वन विभाग के प्रबंध में है) से निस्तार सुविधाओं का बड़ा महत्व रहा है। यह निस्तार सुविधाएं मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, बांस, निस्तारी इमारती लकड़ी, कांटे तथा पशुओं की चराई बाबत हैं।

2. राज्य शासन के पत्र-क्रमांक 7/13/75/10/2 दिनांक 12 अप्रैल 1977 के आधार पर जो सुविधाएं दी जा रही थीं, उन सुविधाओं में संशोधन किया गया है। अतः अब यह सुविधाएं निम्नानुसार हैं :—

(1) राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुए (बस्तर जिले एवं बसोड़ों के लिये प्रचलित प्रावधानों को छोड़कर) शेष क्षेत्रों के लिये निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है :—

(क) निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी, जो कि वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत स्थित हैं। पांच किलोमीटर की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।

(ख) नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र, चाहे वे वन सीमा के पांच किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ग) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।

(2) पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(3) जिन पांच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहां ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जायेगा। इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूह के लिये एकजाई रूप से की जायेगी।

(4) वनों से पांचं किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है

तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य पर जिसमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जावेगी तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा। इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास रिवाल्विंग कोष हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये ''प्रोजेक्ट निगोसिएशंस'' के समय प्रयास किये जाएं।

(5) उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों को वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा। ग्रामीणों को वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंध का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा। सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारण कर सकेगी।

(6) वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(7) बस्तर जिले में तथा राज्य में बसोड़ों के लिये पूर्व निस्तार व्यवस्था यथावत् प्रचलित रहेगी।

यह नई व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई 1996* से प्रभावशील होगी।

(बी. एस. बसवान)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

---

* मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक / एफ-7-22/93/10/3 दिनांक 28 नवम्बर 1995 द्वारा अधिसूचित दिनांक।

बसोड़ परिवारों को बांस प्रदाय के संबंध में नीति

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/ एफ-7/22/93/10-3 दिनांक 8 अप्रैल 2002 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बसोड़ परिवार को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर देय रायल्टी पूर्णतः माफ की जाये। कटाई, संग्रहण, अभिलेख एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(रतन पुरवार)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/ एफ-7/2/2004/10-3 दिनांक 8 दिसम्बर 2004 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-7/22/93/10-3 दिनांक 8-4-2002 में आंशिक संशोधन करते हुये बसोड़ जाति के समान बसोर, बुरुड, बॉसोर, बॉसोड़ी, बांसफोर, बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ की जाए। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. के. सपरा)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

शवदहन के लिये जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के संबंध में नीति

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/ एफ-7/22/93/10-3 दिनांक 20 अगस्त 1996 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नई निस्तार नीति के अंतर्गत, मुर्दों को जलाने के लिये जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्ववत् रखने के संबंध में निर्णय लिया गया कि:—

(1) नई निस्तार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मुर्दों को जलाने के लिये जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर वेंडर्स को उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत् रखी जाये।

उक्त व्यवस्था दिनांक 1-7-1996 से लागू मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(धर्मेन्द्र शुक्ला)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

समितियों के माध्यम से निस्तार वनोपज के प्रदाय के संबंध में

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र क्रमांक/ एफ-7/2/2006/10-3 दिनांक 15 मार्च 2007 द्वारा जारी स्पष्टीकरण)

संदर्भित ज्ञाप (म. प्र. शासन, वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक/एफ 7-22/93/10-3, दिनांक 26-12-1994) द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई नीति जारी की गई है। इस नीति के बिन्दु क्रमांक-2 में यह प्रावधान है कि पांच कि. मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा।

समितियों के माध्यम से निस्तार वनोपज के प्रदाय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज मांग की जाती है, तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य प्राप्त करके प्रदाय की जाएगी। इसके लिए वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से भुगतान करना होगा। वनोपज का आपसी वितरण समिति स्वयं करेगी तथा समिति के लिए विभाग की ओर से कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा।

(रतन पुरवार)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

शाकेमुभो—373—मुवसंभो—5-6-08—5,000.